डिस्क्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 05/2023-24 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

फा. सं. ऐरा/20010/एमवाईटीपी/ग्लोबल- फ्लाइट/जीएच/रायपुर/सीपी-III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 05/2023-24

सत्यमेव जयते

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड (जीएफएचएसआरपीएल) के संबंध में स्वामी विवेकानंद हवाईअड्डा, रायपुर में प्रथम नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28) के लिए ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

जारी करने की तारीख : 11 जुलाई, 2023

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण ने स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में जीएफएचएसआरपीएल द्वारा प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी') में दिए गए विभिन्न अनुमानों पर विचार करने के बाद यह परामर्श पत्र जारी किया है। तदनुसार टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्ताव इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किए गए हैं।

अत: ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 11.07.2023 के परामर्श पत्र संख्या 05/2023-24 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
ऐरा प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल : satish.kr@aera.gov.in ; vartika.gupta@aera.gov.in
प्रतिलिपि : director-ps@aera.gov.in ; secretary@aera.gov.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**02/08/2023**
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	**11/08/2023**

टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

अध्याय 7 : प्राधिकरण के निर्णयों का सार

स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार हितधारकों के परामर्श के प्रयोजन से नीचे दिया गया है:

अध्याय	पैरा	प्राधिकरण के निर्णयों का सार	पृष्ठ संख्या
अध्याय संख्या 2	**2.9**	प्राधिकरण स्वतंत्र सेवा प्रदाता द्वारा रायपुर हवाईअड्डे पर प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में जीएफएचएसआरपीएल के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण कार्य को **"लाइट टच अप्रोच"** के अंतर्गत मानने का प्रस्ताव करता है।	9
अध्याय संख्या 3	**3.10**	प्राधिकरण तालिका 03 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए विमान यातायात (संचालित की जाने वाली उड़ानों) को मानने का प्रस्ताव करता है।	11
अध्याय संख्या 4	**4.6**	प्राधिकरण तालिका 04 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए कैपेक्स को मानने मानने का प्रस्ताव करता है।	13
अध्याय संख्या 5	**5.6**	प्राधिकरण तालिका 05 के अनुसार प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए ओपेक्स को मानने का प्रस्ताव करता है।	17
अध्याय संख्या 6	**6.11**	प्राधिकरण जीएफएचएसआरपीएल द्वारा रायपुर हवाईअड्डे पर शेड्यूल्ड उड़ानों, अंतरराष्ट्रीय ''नॉन शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन उड़ानों'' के संबंध में प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओ के लिए प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए संलग्नक **(I,II, और III)** के अनुसार टैरिफ दरों और शेडयूल्ड एवं नॉन शेड्यूल्ड प्रचालकों के लिए मदवार टैरिफ दर कार्ड को मानने का प्रस्ताव करता है।	20
	6.12	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि अंतरदेशीय नॉन-शेड्यूल्ड उड़ानों और सामान्य विमानन प्रचालनों के लिए टैरिफ, इसमें ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के लिए मद-वार प्रभार भी शामिल है, समान श्रेणी के विमान (नों) के लिए संगत अंतरदेशीय शेड्यूल्ड उड़ानों के लिए अनुमोदित टैरिफ से अधिक नहीं होगी।	
	6.13	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान किए जाने की स्थिति में भारतीय रिजर्व बैंक की पिछले माह की अंतिम तारीख को विद्यमान मुद्रा परिवर्तन दर पहले पखवाड़े के लिए लागू होगी और माह की पंद्रह (15) तारीख को विद्यमान दर दूसरे पखवाड़े के लिए लागू होगी।	
	6.14	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि **संलग्नक (I, II और III)** में इंगित टैरिफ दरें वसूल की जाने वाली अधिकतम टैरिफ होंगी। अनुमोदित टैरिफ दरों के अतिरिक्त अन्य कोई भी प्रभार नहीं लगाया जाएगा।	
	6.15	प्राधिकरण यह प्रस्ताव करता है कि जीएफएचएसआरपीएल नागर विमानन मंत्रालय द्वारा इसके दिनांक 27.10.2022 के पत्र संख्या एवी-24011/10/2021-एएआई-एमओसीए द्वारा जारी निदेशों के अनुसार स्वामी विवेकानन्द हवाईअड्डा, रायपुर में ग्राउंड हैंडलिंग उपस्कर के मानकीकरण का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।	

अध्याय 8 हितधारकों के परामर्श

8.1 ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के उपर्युक्त अध्याय 7 में निहित प्रस्ताव एतद्द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत हैं। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक संलग्नक **(संलग्नक-I, II *और* III)** लगाए गए हैं।

8.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का इस प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

8.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय *7* में दिए गए प्रस्तावों पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक **02.08.2023** तक भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण
ऐरा भवन, प्रशासनिक कॉम्पलेक्स, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
फोन : 011 24695044-47 ; फैक्स 011-24695048

(अध्यक्ष)